राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5390/2022

सुनिता मेहरा —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रितिबाला शर्मा, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रंगबाडी, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.10.2022
आदेश की दिनांक : 18.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रंगबाडी, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरला, बारां से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रंगबाडी, कोटा अपीलार्थी के स्थान पर बिना रिक्त पद के किया गया। इस प्रकार से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1A) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रंगबाडी, कोटा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धुलेत, सांगोद, कोटा किया गया। अपीलार्थी किडनी की गंभीर बिमारी से पीड़ित है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज कोटा मे चल रहा है (अनुलग्नक–2)।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 एवं 10.10.2022 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रंगबाडी, कोटा में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी किडनी (Kidney) की गंभीर बिमारी से पीड़ित है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज कोटा मे चल रहा है तथा किडनी (Kidney) की बीमारी के कारण भयंकर समस्याए उत्पन्न हो रही है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी तीन सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 एवं 10.10.2022 (अनुलग्नक–1 एवं 1A) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य